FAMILY COURT, BHOJPUR, ARA

Misc.Case No-190/2023

Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office action taken with date
	24-03-2026	पत्रावली प्रस्तुत की गयी। पुकार कराया गया। पुकार पर न तो आवेदक और न ही उनकी और से कोई विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये। यह वाद आवेदक की ओर से भरण—पोषण वाद सं0—165/2017 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2019 को निरस्त करने हेतु लाया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। आदेश फलक यह स्पष्ट करता है कि हस्तगत मामले में दिनांक 15.01.2024 के पश्चात् लगातार आवेदक अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहे हैं। आवेदक का यह आचारण यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि हस्तगत वाद को आगे जारी रखने में उनकी कोई रूची नहीं रह गयी है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य भी नहीं रह गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में हस्तगत वाद को आदेश—9 नियम—3 सी0पी0सी0 के अंतर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय हस्तगत वाद को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करावें। लेखापित (आशुतोष कुमार) प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भोजपुर, आरा।	